राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : चेतन देवडा आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–01 / 2019

दायर दि. 09.01.2019
निर्णय दि. 04.09.2019

श्री नारायण पिता सोमा बरण्डा भील, निवासी बलवाडा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

---अपीलार्थी

बनाम

1. श्री कांती पिता नाना बरण्डा भील, निवासी बलवाडा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी, अभिभाषक – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अल्लाहनूर मंसुरी, अभिभाषक – विपक्षी सं. 1 की ओर से
3. पेरोकार सरकार – रेसपाडेन्ट सं. 3 की ओर से

:: निर्णय ::

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनों हेतु भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियत 14(4) के अंतर्गत विपक्षी सं. 1 को ग्राम बलवाडा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.) में आवंटित भूमि खसरा नं. 6681 / 600 रकबा 10 बिस्वा को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बलवाडा की बिलानाम आराजी संख्या 600 में से रकबा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ जरिये मीसल संख्या 1020 / 02 दिनांक 04.02.2002 के द्वारा विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गई है, वह मौके के वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए नियमों के विपरित जरिये मीस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड के कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित कराई गई भूमि है। विपक्षी सं. 1 ने आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रपत्र संख्या 3 में ग्राम बलवाडा के खसरा नम्बर 604 में से 10 बिस्वा भूमि आवंटन कराने प्रार्थना की गई थी। पटवारी हल्का बलवाडा ने भी खसरा संख्या 604 में भूमि आवंटन बाबत् जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर आवंटन सलाहकार समिति ने भी ग्राम बलवाडा के खसरा नम्बर 604 में 10 बिसवा भूमि विपक्षी सं. 1 को आवंटित की गई किन्तु बाद में मिलीभगत करते हुए आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, रिपोर्ट पटवारी एवं आवंटन सलाहकार

समिति के निर्णय में खसरा संख्या 604 में अंकित 4 को ऑवराईटिंग कर 0 बना खसरा संख्या 600 बना किया है जो फ्रोड की श्रेणी मे आता है। विपक्षी संख्या 1 को आंवटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा आवंटन वर्ष 2002 के पूर्व अथवा बाद में भी अभी तक भी काश्त कब्जा नही रहा है, जिससे विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नही हुई हैं विपक्षी सं. 1 को किया गया उक्त आवंटन डूंगरपुर से रतनपुर जाने वाले मुख्य मार्ग (स्टेट हाईवे) पर स्थित हैं। आवंटन कमेटी की बैठक दिनांक 04.02.2002 में आवंटन करना बताया, उस बैठक में तहसीलदार (भूमिधारी) उपस्थित नहीं थे। अप्रार्थीगण के नाम किया गया यह आवंटन नियमों के विपरीत जरिये मीस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड के कराया गया, आवंटन है। विपक्षी को आवंटित भूमि के पीछे प्रांर्थी व उसके भाई की कृषि भूमि, कुंआ, मकान स्थित है जिससे आवंटित उक्त भूमि पर उनका पुराना कब्जा काश्त होकर पेनाल्टी जमा कराते है, इसी भूमि में होकर आवागमन करते है तथा अरसे दराज से इसका शांतीपूर्वक उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। विपक्षी सं. 1 द्वारा कराया गया आवंटन नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से अभिभाषक नियुक्त हुए एवं विपक्षी सं. 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। विपक्षी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी ने अपने जवाब में आंवटित भूमि पर आवंटी 2002 से भूमि पर काबिज काश्त होना बताते हुए आवंटन मजमें आम में होना अंकित किया है। निवेदन किया कि आवंटन प्रार्थना पत्र में लिपिकीय त्रुटि से खसरा नम्बर 604 अंकित हो गया, जिसे शुद्ध कर 600 अंकित किया गया है। एलोटमेन्ट होने के पश्चात् इसमें सुधार नही किया गया है। प्रार्थी की भूमि विपक्षी को आवंटित भूमि के पास नही है एवं न ही प्रार्थी व इसके परिवार के लोगों का इसमें आवागमन है। आवंटन का नक्शे में पैमुदगी होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। आंवटी ने किसी प्रकार के मीस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड के जरिये भूमि का आवंटन नही करवाया है। आंवटन नियमानुसार एलोटमेन्ट कमेटी द्वारा किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने से खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की बहस समायत की गई। प्रार्थी की ओर से उपस्थित योग्य अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षी सं. 1 द्वारा ग्राम बलवाडा के खसरा संख्या 604 में भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर पटवारी ने जांच कर जांच रिपोर्ट में खसरा नम्बर 604 का अंकन कर आवेदन पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया। आवंटन कमेटी ने दिनांक 04.02.2002 को ग्राम बलवाडा के खसरा नम्बर 604 में 10 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया। आवंटी ने बाद में मिलीभगत करते हुए प्रस्तुत आवंटन आवेदन पत्र सहित पटवारी रिपोर्ट एवं आवंटन कमेटी के निर्णय में भी खसरा संख्या 604 के बजाय 600 करवा लिया। आवंटन कमेटी की बैठक में भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर उपस्थित नही जिससे आवंटन कमेटी के

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

निर्णय में उनके हस्ताक्षर नही है। विपक्षी को डूंगरपुर–रतनपुर मुख्य मार्ग पर स्टेट हाईवे की भूमि का आवंटन एवं सड़क से लगती हुई पैमूदगी कर दी है जो नियमों के विपरित है। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4(V)(F)के तहत् सड़क मध्य से 50 गज की भूमि का आवंटन नही किया जा सकता हैं नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि अनुसार विपक्षी का आवंटन एवं पैमुदगी सड़क से सटकर है। प्रार्थी के योग्य अभिभाषक का आगे यह भी कथन रहा है कि विपक्षी का आवंटन एवं नक्शे में पैमुदगी ऐसे स्थल पर है जहां सड़क का अंधा मोड होकर यहां पूर्व में दुर्घटनाएं होती रही है। आवंटित भूमि पर कब्जा व निर्माण की स्थिति में सीधा दृष्टव्य बाधित होने से जहां भविंष्य में भी दुर्घटनाओं की संभावना वनी रहेगी वही भविष्य में सड़क के वाईडनींग (चौडा) करने पर सरकार को भारी मुआवजा भी चुकाना पड़ेगा। विपक्षी को उक्त आवंटित भूमि के पीछे ही सटकर प्रार्थी द्वारा उसके भाई व परिवार की कृषि भूमि व पुराना कुंआ स्थित है तथा मकान हैं प्रार्थी व उसका परिवार भूमि की पेनाल्टी जमा कराता है तथा इसी भूमि में होकर पिछे आने जाने का कार्य करते है। विपक्षी आवंटी का निवास यहां से दूर दूसरे फले में है जबकि प्रार्थी यहीं निवास करता है।गलत आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। आवंटित भूमि पर आवंटि का कब्जा काश्त नही है। अतः विपक्षी का आवंटन आवंटन नियमों के विपरित जरिये Misrepresantation & Fraud के कराया गया आवंटन होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 1 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जावे। प्रार्थी के अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में कृषि भूमि आवंटन नियमावली 1970 एवं आरबीजे (20) 2013 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है।

विपक्षी सं. 1 की ओर से उपस्थित योग्य अभिभाषक ने भी अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आवंटित भूमि पर आवंटि का वर्ष 2002 से ही कब्जा चला आ रहा है तथा नक्शे में पैमूदगी होकर उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है जिससे अब आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। आवंटित भूमि डूंगरपुर–रतनपुर सड़क के पास होने से आधार पर ही खारीज नही की जा सकती है। आंवटन आवेदन पत्र अन्य द्वारा भरा गया तथा इसमें लिखने वाले की गलती से खसरा नम्बर 600 के बजाय 604 अंकित कर दिया था जिसे आवंटन के पूर्व ही सुधार दिया गया था। लिपिकीय त्रुटि कभी भी दुरूस्त की जा सकती है। खसरा नम्बर 600 में जमीन शेष है। प्रार्थी ने खसरा संख्या 600 के पास अपनी भूमि होने का सबुत पेश नही किया है। विपक्षी सं. 1 के योग्य अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मजमे आम में दिनांक 04.02.2002 को आवंटन किया गया है तथा आवंटि मौके पर काबिज काश्त है जिससे अब आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करते हुए विपक्षी आवंटी बहाल रखा जावे।

उभय पक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का आद्योपरांत अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन आवेदन पत्र, रिर्पोट पटवारी एवं आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय का अवलोकन करने पर विदित होता है

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

कि सभी स्तरों पर ग्राम बलवाडा के खसरा संख्या 604 को ऑवरराईटिंग द्वारा 600 किया गया है तथा इसमें किसी के हस्ताक्षर नही हैं किसी भी ऑवर राईटिंग अथवा कांट–फांस पर सम्बधित का कटिंग अटेस्टेड होना आवश्यक है। आराजी संख्या 604 को 600 कब व किसने किया स्पष्ट नही है। खसरा संख्या में ऑवर राईटिंग कर शुद्धि आवंटन के पहले होने के प्रमाण उपलब्ध नही है एवं न ही इसके समर्थन में आवंटन रजिस्टर अथवा आदेश की प्रति ही प्रस्तुत हुई है। पत्रावली में प्रस्तुत ग्राम बलवाडा की जमाबंदी संवत् 2071–74 अनुसार खसरा संख्या 6681/600 रकबा 10 बिस्वा विपक्षी सं. 1 श्री कांति पिता नाना के खाते दर्ज है किन्तु संलग्न खसरा गिरदावरी में किसी प्रकार की काश्त फसल अंकित नही है। पत्रावली में प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के अवलोकन से खसरा संख्या 600 सडक मार्ग से लगता हुआ होकर विपक्षी के आवंटन का चित्रण/तरमीम भी लाल स्याही से सडक से चिपका हुआ किया गया है तथा यहॉ पर सड़क मोड (Curve) लिये हुए भी है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी खाता संख्या 841/983 संवत् 2071–74 के अवलोकन से ग्राम बलवाडा की बिलानाम आराजी संख्या 600 जिसमें विपक्षी संख्या 1 को 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई है के पास ही प्रार्थी के संयुक्त खाते की आराजी संख्या 602, 603 इत्यादि स्थित है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 का अवलोकन किया गया। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में अंकित है कि –

Rule 4 Land not avilable for alltment under these rules - The following categories of Lands shall not be avialble for allotment for agriculture purpose under these rules, namely-

(V) lands within -

(F) Fifty yards from the centre of national highway or any other mattled or gravelled road.

पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यों से यह भलीभांति प्रमाणित होता है कि विपक्षी सं. 1 को किया गया आवंटन डूंगरपुर रतनपुर मार्ग पर सड़क से चिपती हुई आराजी संख्या 600 में किया जाकर आवंटन की पैमूदगी भी सड़क से चिपती हुई की गई है जो नियमों के विपरित है। उक्त आवंटन बना रहने से जहां सड़क की वाईडनिंग – चौडा होने पर राज्य सरकार को भारी मुआवजा चुकाना पडेगा वही आवंटित स्थल पर सड़क का मोड (Curve) होने के कारण सिधी दृष्टव्यता के अभाव में दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहेगी। साथ ही आवंटन आदेश, पटवारी रिपोर्ट एवं आवंटन कमेटी के आवंटन निर्णय में खसरा नंबर की कांट–छांट की गई हैं। ऐसी स्थिति में नियम विरूद्ध आवंटन प्रारम्भ से ही प्रभाव शुन्य होने से खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् भी निरस्त किया जा सकता हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण एवं माननीय न्यायालयों द्वारा पारित अन्य निर्णयों के अनुसार नियमों के विपरित एवं गलत तथ्यों पर कराये गये आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवचेनानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरवर्णित प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं जिससे इसे स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी सं. 1 के नाम ग्राम बलवाडा की आराजी संख्या 600 में जरिये मीसल 1120/2002 दिनांक 04.02.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन 10 बिस्वा जिसकी नवीन आराजी संख्या 6681/600 कायम हुई है, का आवंटन एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार डूंगरपुर को उक्त भूमि पूर्ववत बिलानाम दर्ज करने लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner